भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1586

(20 सितंबर, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए)

गांवों में आवासन

1586. श्री रविन्दर कुशवाहाः
श्री संगम लाल गुप्ताः
श्री सी.पी. जोशीः
श्री जॉन बर्लाः
श्री नायब सिंह सैनीः
श्री रवि किशनः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करकृगे किः

(क) क्या गांवों और मलिन बस्तियों में एक घर के स्थान पर चार या पांच घरों का निर्माण किया जा रहा है और यदि हां, त तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार इस कार्य क किस प्रकार राक्रने जा रही है;

(ग) क्या इस संबंध में काई प्रस्ताव या ठास नीति बनाई गई है और यदि हां, त तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, त इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विभिन्न आधारभूत ढांचों में परिवर्तन/हस्तक्षेप की काई आवश्यकता है; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा सांसद आदर्श ग्राम याजना के अन्तर्गत भविष्य में गांवों का वास्तुशिल्प बनाए रखने और लागों क आसान राजसहायता प्रदान करने की संभावना है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): मंत्रालय प्रधान मंत्री आवास याजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) क 1 अप्रैल, 2016 से पूरे देश में कार्यान्वित कर रहा है। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थियों का निर्धारण सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 के आंकड़े के अनुसार आवास की कमी के मानदंडों और ग्राम सभा द्वारा सत्यापन तथा उसके बाद अपील प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है।

पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन फ्रेमवर्क के अनुसार लाभार्थी स्वयं या अपनी ही देखरेख में अपने मकान का निर्माण करता/करती है। पीएमएवाई-जी के तहत बनाए गए मकान का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर हा□ता है जिसमें स्वास्थ्य वर्द्धक भा□जन बनाने के लिए एक अलग हिस्सा हा□ता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों उनके क्षेत्र के अनुकूल मकान के अलग-अलग डिजाइन का विकल्प उपलब्ध कराती हैं, लेकिन अंतत: यह लाभार्थी की मर्जी है कि वह अपने अनुकूल डिजाइन के अनुसार मकान का निर्माण करे।

(ङ.): सांसद आदर्श ग्राम या□जना (एसएजीवाई) एक अनूठी और परिवर्तनकारी या□जना है क्योंकि इसमें विकास का व्यापक दृष्टिका□ण है। इस या□जना में विविध क्षेत्रों में गांव के समेकित विकास की संकल्पना की गई है जैसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, आजीविका इत्यादि। इस या□जना में न केवल भौतिक अवसंरचना और बुनियादी सुविधाएं उपलबध कराने का प्रयास किया जाता है, बल्कि जीवन स्तर सुधारने, सामाजिक पूंजी क□ समृद्धि करने और सामुदायिक भावना क□ विकसित करने का भी प्रयास किया जाता है। एसएजीवाई ग्राम पंचायतों के विकास की संकल्पना किसी अतिरिक्त निधि के आवंटन के बिना संबंधित मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण में राज्य सरकारों की मौजूदा विकास या□जनाओं में प्रभावी तालमेल और कार्यान्वयन के माध्यम से की गई है। पीएमएवाई-जी के तहत पात्र लाभार्थियों की जरूरतों क□ प्राथमिकता आधार पर पूरा करने के उद्देश्य से एसएजीवाई गांव क□ विशेष वरीयता दी जाती है। एसएजीवाई का लक्ष्य इसकी ग्राम विकास या□जना (वीडीपी) क्रियाकलापों क□ कार्यान्वित करने में ग्रामीण क्षेत्र की सकारात्मक विशेषताओं क□ प्रा□त्साहित और विस्तारित करना है।

*****